

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 631 / 2023
सरकार बनाम नाहर उर्फ नारु वगैरा

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त नोट
	राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 बैंच संख्या- 111 1. श्री विकास मारग, अध्यक्ष, लोक अदालत 02. सुश्री कला आर्य, सदस्य, लोक अदालत —: आदेश :— दिनांक 14.03.2026 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 111 में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य पूर्व समझाईश के कारण परिवादी ने दिनांक 08.01.2026 को राजीनामा करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया तथा जाहिर किया कि प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता। अतः परिवादी द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने के कारण अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 325 भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अब कोई कार्यवाही शेष न रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत	